न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 161/2020
3. उनवान : सरकार जरिये संदीप माथुर, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स श्रीनाथ केटरिंग, मकान नं. 2888, कचोरी वालों की गली, खातियों का चौक, अग्रवाल किराना स्टोर के पास, तिवाडी भवन, जयपुर।
2. श्री बिठल दास गुप्ता पुत्र स्व. श्री सीतराम गुप्ता, मकान नं. 908, नाटाणियों का रास्ता, किशनपोल जयपुर मालिक फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी संदीप माथुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.04.2012 को शिकायत की जांच हेतु मैसर्स श्रीनाथ केटरिंग के कारखाने पर कार्यवाही के दौरान 23 घरेलू गैस सिलेण्डर (20आईओसी+3बीपीसी), 15 वाणिज्यिक सिलेण्डर (11आईओसी+2बीपीसी+ 2एचपीसी) मय कुल एलपीजी 441.700 किग्रा व एक रेग्यूलेटर मय रबर पाईप जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर, अवैध रुप से सिलेण्डर क्रय करके भण्डारण/संग्रहण करके एवं निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में एक ही स्थान पर एलपीजी गैस का भण्डारण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही जवाब पेश किया गया। अतः प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 18.04.2012 को जब्त सामान का अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर, अवैध रुप से सिलेण्डर क्रय करके भण्डारण/संग्रहण करके एवं निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में एक ही स्थान पर एलपीजी गैस का भण्डारण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर घरेलू सिलेण्डर भट्टी में लगाकर सब्जी बनाने के काम में लिये जाते हुए पाये गये। जिससे सिद्ध होता है कि घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court of Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •